उपायुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, गुमला

(मनरेगा कोषांग)

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.2012, संकल्प ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.2017 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में जिला स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत संविदा के आधार पर प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र०	पदनाम	रिक्तियों की संख्या				
		सामान्य	आ०क०व०	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	कुल
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	01	0	0	0	01
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	01	0	01	0	02
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	02	01	02	0	05
4	लेखा सहायक	0	01	02	0	03
5	कम्प्युटर सहायक	02	01	02	0	05
6	ग्राम रोजगार सेवक	07	02	08	01	18

शैक्षणिक योग्यता :–

क्र०	पदनाम	अनिवार्य योग्यता
1	2	3
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	**अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा। **अतिरिक्त योग्यता :–** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम•बी•ए•/पी•जी•डी•बी•ए•/ पी•जी•डी•बी•एम•/पी•जी•डी•आर•डी•, बी•सी•ए•/ बी•एस•सी• कम्प्यूटर/बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम•सी•ए•/ एम•एस•सी• कम्प्यूटर विज्ञान। एम•बी•ए• एवं पी•जी•डी•बी•ए•/ पी•जी•डी•बी•एम•/पी•जी•डी•आर•डी• में समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•बी•ए•/पी•जी•डी•बी•एम•/पी•जी•डी•आर•डी• के प्राप्तांक में 5 घटाकर एम•बी•ए• की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी•सी•ए• तथा सामान्य बी•एस•सी• कम्प्यूटर को बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिया जायेगा। बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। (ख) एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर साईस को सामान्य योग्यताऐं समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम•सी•ए• की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी•जी•डी•सी•ए• तथा एम•सी•ए• में समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी•सी•ए• या बी•एस•सी• कम्प्यूटर साईन्स या बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी•जी•डी•सी•ए• किया हो अन्यथा पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर

		उसके प्राप्तांक को एम•सी•ए• की कोटि में रखा जायेगा।
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	**<u>अनिवार्य योग्यता :–</u>** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी•टेक•/बी•ई•। **<u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम•टेक• तथा पी•जी•डी•सी•ए•/एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्युटर साईंस। (ख) एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर साईंस को सामान्य योग्यताऐं समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम•सी•ए• की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी•जी•डी•सी•ए• तथा एम•सी•ए• में समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**<u>अनिवार्य योग्यता :–</u>** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा। विभागीय पत्रांक 1187/ग्रा•वि• दिनांक 01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यार्थी तथा सिविल संकाय में बी•टेक•/बी•ई• उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकते हैं। **<u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी•टेक•/बी•ई•/बी•सी•ए•/बी•एस•सी• कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम•सी•ए•/पी•जी•डी•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्युटर साईंस। (ख) बी•सी•ए• तथा सामान्य बी•एस•सी• कम्प्यूटर को बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु इनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी•एस•सी• कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुसार प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। (ग) एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम•सी•ए• की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी•जी•डी•सी•ए• तथा एम•सी•ए• समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
4	लेखा सहायक	**<u>अनिवार्य योग्यता :–</u>** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी–कॉम ऑनर्स या सामान्य बी–कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। सामान्य बी–कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम•कॉम• किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी•कॉम• के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उन्हें बी•कॉम• ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। **<u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी•सी•ए• तथा एम•सी•ए•/पी•जी•डी•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्युटर साईंस। (ख) एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम•सी•ए• की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी•जी•डी•सी•ए• तथा एम•सी•ए• में समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•सी•ए• प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यार्थी ने बी•सी•ए• के पश्चात पी•जी•डी•सी•ए• किया हो अन्यथा पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उनके प्राप्तांक को एम•सी•ए• की कोटि में रखा जायेगा।
5	कम्प्युटर सहायक	**<u>अनिवार्य योग्यता :–</u>** (1) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी•एस•सी• कम्प्युटर आनर्स या बी•एस•सी• कम्प्युटर सामान्य या बी•सी•ए• या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात पी•जी•डी•सी•ए• उत्तीर्ण।

		(2) बी•सी•ए• तथा सामान्य बी•एस•सी• कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी•एस•सी• कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी•जी•डी•सी•ए• किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी•एस•सी• कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। **<u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम•सी•ए•/पी•जी•डी•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर साईस। (ख) एम•सी•ए•/एम•एस•सी• कम्प्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम•सी•ए• की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी•जी•डी•सी•ए• तथा एम•सी•ए• में समतुल्यता लाने हेतु पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घंटा दिया जायेगा जबकि अभ्यार्थी ने बी•सी•ए•/सामान्य बी•एस•सी• कम्प्यूटर के पश्चात पी•जी•डी•सी•ए• किया हो अन्यथा पी•जी•डी•सी•ए• के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उनके प्राप्तांक प्रतिशत को एम•सी•ए• की कोटि में रखा जायेगा।
6	ग्राम रोजगार सेवक	**<u>अनिवार्य योग्यता :–</u>** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आई•टी•आई•, मैट्रिक के पश्चात आई•टी•आई• की स्थिति में आई•टी•आई• के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा। **<u>अतिरिक्त योग्यता :–</u>** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/ बी•सी•ए• तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी•जी•डी•सी•ए•/पी•जी•डी•बी•ए•/पी•जी•डी•आर•डी• अतिरिक्त योग्यता होगी। स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। (ख) पी•जी•डी•सी•ए•/पी•जी•डी•बी•ए•/पी•जी•डी•आर•डी• को स्नातकोत्तर को श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। (ग) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

नोट :– अभ्यथियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB/सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था से मान्यता संबंधी कागजात को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड/Grade के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जायेगी।

<u>आयु सीमा</u> दिनांक– 01.09.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम :–

(क) अनारक्षित वर्ग 35 वर्ष
(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 35 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/आ•क•व•) 38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष) 40 वर्ष

सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छुट दी जायेगी। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में दिव्यांग का दावा तभी मान्य होगा जब दिव्यांगता कम से 40% अथवा इससे अधिक हो। प्रमाण पत्रों की

जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित दिव्यांगता संबंधी दावे के अनुरूप दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

राष्ट्रीयता :– आवेदक भारत का नागरिक हो।

आरक्षण :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

परिलब्धि :–

क्र०	पदनाम	परिलब्धि
1	**2**	**3**
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140/- रु० प्रतिमाह
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000/- रु० प्रतिमाह
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000/- रु० प्रतिमाह
4	लेखा सहायक	14300/- रु० प्रतिमाह
5	कम्प्युटर सहायक	14300/- रु० प्रतिमाह
6	ग्राम रोजगार सेवक	11000/- रु० प्रतिमाह

- संविदा राशि में नियत क्षेत्र भ्रमण भत्ता एवं मोबाईल रिचार्ज भत्ता शामिल है।
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक (N)1028 दिनांक 04.08.2022 के आलोक में संविदा राशि देय है।

नियुक्ति के नियम तथा शर्त्तें :–

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रुप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जायेगा।
3. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरुप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
4. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की मासिक परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते है परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जायेगी।
5. अभ्यार्थियों की आवश्यतानुसार दक्षता परीक्षा लिया जा सकता है।
6. उक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर एवं दक्षता परीक्षा प्राप्तांक (दक्षता परीक्षा लेने की स्थिति में) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
7. उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिले के लिए अभ्यर्थी का आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही अपने आवेदन–पत्र के साथ इन्हें इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। संलग्न किये गये सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत है। इनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। साथ ही इसके लिए उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी जायेगी।
8. तैयार मेधा सूची के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अभ्यर्थी त्रुटि निराकरण हेतु आवेदन **उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (मनरेगा कोषांग) विकास भवन, गुमला** के पदनाम से दे सकते हैं। तत्पश्चात अंतिम मेधा सूची तैयार किया जायेगा। इसके उपरांत किसी अभ्यर्थी का त्रुटि हेतु आवेदन/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गुमला जिले के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगी।
11. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्षों की रहेगी।
12. उक्त विज्ञापन में किसी प्रकार की संशय/विवाद की स्थिति में विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/नियमावली की अंतिम रूप से मान्य होगा।
13. आवेदन कैसे करें –
आवेदन **उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (मनरेगा कोषांग) विकास भवन, गुमला** को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 11.11.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक भेजा जा सकता है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है –
   i. स्वहस्ताक्षरित दो रंगीन फोटो।
   ii. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   iii. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   iv. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   v. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   vi. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   vii. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र संलग्न करेंगे। साथ ही बंद लिफाफा के ऊपर साफ अक्षरों में पद का नाम अंकित करेंगे।
   viii. आवेदन का प्रारूप इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।
15. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर गलत सूचना देने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवदेन किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गुमला।

ज्ञापांक 636(ii)/म०को० दिनांक 26.10.2023

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के वेबसाईट में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गुमला।

आवेदन–पत्र का प्रारुप

हाल का खीचा हुआ स्वअभिप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. अभ्यार्थी का नाम (हिन्दी में) ....
   अंग्रेजी के (Block) अक्षरों में ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. वर्त्तमान पता :– ....
   ....
   (मोबाईल/दूरभाष सहित)
6. जन्म तिथि :– ....
7. उम्र (01.09.2023 को) वर्ष........................माह........................दिन..............................
8. लिंग (पुरूष/महिला) :– ....
9. विकलांग :– .... (हाँ/नहीं) (सक्षम पदाधिकारी के स्तर का निर्गत प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. कोटि :– .... (अनारक्षित/अ०ज०जा०/ज०जा०/अ०पि०व०/पि०व०/आ०क०वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थी सक्षम पदाधिकारी के स्तर का निर्गत प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
11. राष्ट्रीयता :– ....
12. अनिवार्य योग्यता :–

क्र०	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

13. अतिरिक्त योग्यता :–

क्र०	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

11. अनुभव का विवरण/प्रमाण–पत्र :–

नोट :– अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थाना से ग्रेड कार्ड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हुँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ मेरी जानकारी में सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर